

ड्राइविंग लाईसैंस नवीनीकरण के लिए दस्तावेज

1. असल पुराना ड्राइविंग लाईसैंस ।
2. फार्म न09 आवेदक की एक फोटो व हस्ताक्षर सहित पूर्ण रूप से भरा हुआ हो
3. फार्म न0 1 (मैडीकल सर्टीफिकेट) तथा बल्ड ग्रुप ।
4. रिहायशी प्रमाण ।(वोटर कार्ड/पासपोर्ट/टेलीफोन/बिजली बिल/राशन कार्ड आदि मे से कोई दो की सत्यापित कापी लगाए)
5. जन्म तिथि (आयु) प्रमाण ।(नगरपालिका से जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टीफिकेट, पेन कार्ड व सिविल सर्जन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति)
6. शपथ पत्र (कार्यकारी मैजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक से सत्यापित) ।
7. अन्य अथारिटी के ड्राइविंग लाईसैंसों के नवीनीकरण से पूर्व एन0ओ0सी0/कन्फरमेशन अनिवार्य होगी ।
8. निर्धिरित फीस/सर्विस चर्जिज